

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 167-2024/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024 (KARTIKA 7, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 अक्तूबर, 2024

संख्या 35/जी॰एस॰टी॰—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 128 के अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 37/जीएसटी—2, दिनांक 01 जुलाई, 2021 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन भुगतानयोग्य विलंब फीस की राशि को, उन रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए अधिनियम की धारा 51 के उपबन्धों के अधीन स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, मास जून, 2021 से, प्ररूप जीएसटीआर—7 में, नियत तिथि तक, विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता के लिए, उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जो कि पच्चीस रुपये प्रतिदिन से अधिक है, का अधित्यजन करते हैं:

परंतु उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन कुल भुगतानयोग्य विलंब फीस की राशि, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, मास जून, 2021 से, नियत तिथि तक, प्ररूप जीएसटीआर—7 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जो एक हजार रुपये से अधिक है, का अधित्यजन किया जाएगा:

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन कुल भुगतानयोग्य विलंब फीस की राशि, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के किसी मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर—7 में नियत तिथि तक विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जब उक्त मास में स्रोत पर कटौती किए गए राज्य कर की कुल राशि शुन्य है, का अधित्यजन किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना प्रथम नवंबर, 2024 से लागू होगी ।

देविंदर सिंह कल्यान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th October, 2024

No. 35/GST.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) and in supersession of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 37/GST-2, dated the 1st July, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, for failure to furnish the return in FORM GSTR-7 for the month of June, 2021 onwards, by the due date, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by such registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-7 for the month of June, 2021 onwards, by the due date, shall stand waived which is in excess of an amount of one thousand rupees:

Provided further that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by the registered person, who fails to furnish the return in FORM GSTR-7 for a month by the due date, where the total amount of state tax deducted at source in the said month is nil, shall stand waived.

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2024.

DEVINDER SINGH KALYAN, Prinicpal Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

11356—C.S.—H.G.P., Pkl.